

(93)

संख्या ५२७/२०१५/१२२१/६९-१-२०१५-११(बजट)/२०१३

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
३०प्र० शासन।

ला/ 16

सेवा में,

✓ निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
३०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : २६ जून, २०१५

विषय: वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२७६/७६/एक/एवीएमबीवीयाइ/२०१३-१४, दिनांक २९ अप्रैल, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में अनुदान संख्या-३७ से जनपद-कौशम्बी की न०प० मङ्गलनपुर की ०१ परियोजना, जनपद-गाजियाबाद की न०प०, डासना की ०१ परियोजना, जलपेंड-झासी की न०प०, टोडी की ०१ परियोजना, जनपद-लखनऊ की न०प०, अमेठी की ०१ परियोजना, जनपद-बागपत की न०पा०प०, बड़ौत व न०पा०, बागपत की ०३ परियोजनाओं, जनपद-मैनपुरी की न०प० बेवर की ०१ परियोजना, एवं जनपद-बिजनौर की न०पा०प०, बिजनौर व किरतपुर की ०२ परियोजनाओं अन्तर्गत उक्त जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाइंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों हेतु कुल १० परियोजनाओं के लिए बजट में प्राविधिक धनराशि से शासनादेश संख्या-२१८१/६९-१-२०१३-११(बजट)/२०१३, दिनांक ०४ मार्च, २०१४ द्वारा ₹० ६९०.०० लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात ₹० ३४५.०० लाख की धनराशि प्रबंध किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधिक धनराशि से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-झासी की न०प०, टोडी की ०१ परियोजना के कार्यों का ₹०५० करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹० २१.०५५ लाख (रूपये इक्कीस लाख पाँच हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के संधान श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	लिंगम् ना० प० का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
१	२	३	४	५	६
१	झासी	न०प०, टोडी	फलेनपुर मो० बड़ानंज में देवी बड़ी माता मन्दिर से मजीद खां के मकान तक, अलीबक्स लेखपाल के मकान तक, गोरे के मकान से छुट्टन खां के मकान तक, भयुरा सोनी वाली गली, भगत के मकान से लखन के मकान तक, भगत के मकान से सरोक आठा चक्की होते हुए अंगिला के मकान तक, पी०डम्ब००८० सड़क तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	४२.११	२१.०५५
योग				४२.११	२१.०५५

प्रियों/जीवि/ अतुल, जी/ (रूपये इक्कीस लाख पाँच हजार पाँच सौ मात्र)

-2/-

टॉप

नामांक

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णाखण्ड अनुपालन करते हुए वी जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं ने प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य पाप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत विर्धारित शर्तों/योजना के प्रस्तावित के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशेषियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही विर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय लिवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना के विलास स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। विसी प्रकार का व्यय अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार कराया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/इंडिजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतावुसार जाहरत कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को विभाग के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के मुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगामी वर्ष के गठन विभाग के शासनादेश दिनांक 04-04-2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश से अन्याय प्रायोजना के लाप्त को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत अवश्य नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ अर्च, २०१६ तक व्यय हो सके।
२. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "२२१७-शहरी विकास योजनागत-०४-गन्दी बस्तियों का विकास-०५१-निर्माण-०३-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुन्य बस्तियों में सी०सी० रोड/इण्टरलार्किंग नाली आदि का निर्माण-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सज्ज हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
३. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२०१५/वो-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय-समय पर जारी आदेशों के बहस्त किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-५२९/२०१५/१२२१(१)/६९-१-२०१५ तिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार (लेखा एवं इकाहर), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
२. निदेशक, स्थानीय निविल लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
३. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
४. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, झांसी।
५. सचिव कोषागारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
६. वित्त अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
७. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
८. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
९. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
१०. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।